

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-08/2017/573

दिनांक: 13-11-2017


-:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्हाने 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	एलेकजैण्डर रॉय पीएचएन	जयपुर	22.06.90	22.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	प्रेमचन्द रेनवाल नर्स प्रथम	कराबी कोटा	26.07.90	26.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	विनोद कुमार नर्स द्वितीय	गंगानगर	08.04.08	08.04.17 09 वर्ष	9300-34800	4800
4.	देवेन्द्र कुमार नर्स प्रथम	गंगानगर	10.07.90	10.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	दिनेश कुमार महरवाल नर्स प्रथम	कोटा	26.07.90	26.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	कैलाश चन्द्र वैष्णव नर्स प्रथम	जालौर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	अन्नाराम देवासी नर्स द्वितीय	जालौर	13.07.90	13.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	कान्तिलाल नर्स प्रथम	जालौर	20.07.90	20.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	नैनाराम मीणा नर्स प्रथम	जालौर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	सांबतसिंह नर्स प्रथम	जालौर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	जिस्मा जोन पीएचएन	पाली	23.06.90	23.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	कैलाश चन्द सैनी पीएचएन	पाली	23.06.90	23.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	श्री मगन लाल नर्स प्रथम	सिरोही	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	प्रवीण कुमार नर्स प्रथम	सिरोही	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

15.	प्रदीप कुमार सिंदल नर्स प्रथम	सिरोही	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
16.	प्रवीण सिंह नर्स प्रथम	सिरोही	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 13/11/2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-8/2017/579

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, एसएमएस चिकित्सालय जयपुर/नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज, कोटा।
2. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/गंगानगर/पाली।
4. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालोर, आहोर (जालोर)।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कराबी डबोक (उदयपुर)।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर